न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/01/19	08–01–2019	05–11–2019

01. कैलाश चन्द मीणा पुत्र स्व0 श्री बुद्धाराम मीणा निवासी रामपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग, ग्राम पंचायत बहरामपुर तहसील कठूमर जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 20–11–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या–499/1990 प्रकरण संख्या 481/2015

उपस्थितः–

01. श्री श्योरामसिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 20–11–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0–499/1990 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.16 के विरूद्व अपील में न्यायालय द्वारा दिनांक 20.6.17 को अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत के आदेश दिनांक 18.10.16 को निरस्त किया और प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के प्रति प्रेषित किया गया कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का मौका देकर पुनः विधि सम्वत् निर्णय पारित करें। अपीलान्ट तहत अदालत में दिनांक 25.7.17 को उपस्थित होवें। उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलान्ट दिनांक 5.7.17 को तहत अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया कि 1/2 भाग ग्राम पंचायत बहरामपुर के उचित मूल्य सामग्री के उठाव व वितरण के आदेश जारी करने की कृपा करें, जिस पर तहत अदालत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किये। उक्त निर्णय दिनांक 20.6.17 से अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को बहाल कर दिया गया किन्तु तहत अदालत के आदेश दिनांक 18.10.16 को निरस्त कर दिया गया तो तहत अदालत को सर्वप्रथम अपीलान्ट की उचित मूल्य सामग्री के उठाव व वितरण के आदेश दिनांक 20.6.17 से 20.11.18 तक यानि एक वर्ष से अधिक अवधि तक भी तहत अदालत ने अपीलान्ट जारी नहीं किये जो आदेशों की अवहेलना व अवमाना की गई है। निर्णय दिनांक 20.6.17 के अनुसरण में अपीलान्ट को दिनांक 25.7.17 व इससे पूर्व दिनांक 5.7.17 को तहत अदालत में उपस्थित हुआ। तहत अदालत ने उक्त दिनांकों में कोई आर्डरशीट नहीं लिखी गई, अपीलान्ट द्वारा पूर्व में दिनांक 5.7.17 के प्रार्थना पत्र पर भी दिनांक 27.7.17 को मार्किंग की गई। अपीलान्ट को तहत अदालत से कारण बताओं नोटिस दिनांक 2.8.17 को जारी किया गया, नोटिस में

जिला कलक्टर अलवर (राज.)

अपीलान्ट के विरूद्व कोई आरोप दर्ज नहीं किये गये थे, मात्र अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते मय रिकार्ड उपस्थित हो। अपीलान्ट दिनांक 2.8.17 को तहत अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ और अवगत करा दिया गया था कि अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान से संबंधित समस्त रिकार्ड प्रवर्तन निरीक्षक को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है जो रिकार्ड कार्यालय में पूर्व से ही जमा है। तहत अदालत में चक्कर लगाकर स्वयं की उचित मूल्य दुकान की उचित मूल्य सामग्री के उठाव व वितरण के आदेश के लिए निवेदन करता रहा जिसके बावजूद तहत अदालत द्वारा आलोच्य अपीलीय निर्णय दिनांक 20.11.18 एक पक्षीय पारित कर दिया गया। तहत अदालत ने ना ही कोई पुनः जांच रिपोर्ट मंगवाई गई ना ही कोई आरोप दर्ज करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। जब अपीलान्ट के विरूद्व कोई आरोप ही नहीं लगाये तो प्राधिकार पत्र निर्णय दिनांक 20.6.17 के विरूद्व निरस्त नहीं करना चाहिए था। शिकायकर्ता शिवचरण अवस्थी निवासी खेडली बेजा रूप से जिला कलक्टर एवं लोकायुक्त जयपुर के यहॉ शिकायतें की गई है। शिकायतकर्ता जो अपीलान्ट के वितरण क्षेत्र का व्यक्ति नहीं है ना ही व्यथित व्यक्ति है। शिकायकर्ता का वितरण क्षेत्र क्रय विक्रय सहकारी समिति गंज खेडली का है जिसका ही उपभोक्ता है। शिवचरण अवस्थी व अपीलान्ट के मध्य जमीन के विवाद विभिन्न राजस्व अदालतों में विचाराधीन है जिसकी द्वेषभावना के चलते ही उसके द्वारा शिकायतें की गई है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व कोई भी निर्णय पारित करने से पूर्व उसे समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक है, किन्तु तहत अदालत द्वारा आलौच्च निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया गया कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.6.17 की अनुपालना में अपीलान्ट को दिनांक 2.8.17 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 17.8.17 तक साक्षय सहित जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, कारण बताओ नोटिस की कार्यालय प्रति पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर लिये गये। अपीलान्ट द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही अपने पक्ष में कोई साक्षय प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अनियमितता की गई है। अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री में गंभीर अनियमितता की गई है, डीलर द्वारा की गई अनियमितताऐं राजस्थान खाधान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 का स्पष्ट उल्लधन होने के कारण आदेश के खण्ड 8 के तहत प्रदत्त शिक्तयो का प्रयोग करते हुए निरस्त किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं साक्ष्य का मौका दिए बिना एकतरफा में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया। शिकायतकर्ता जो अपीलान्ट के वितरण क्षेत्र का व्यक्ति नहीं है ना ही व्यथित व्यक्ति है। शिकायकर्ता का वितरण क्षेत्र क्रय विक्रय सहकारी समिति गंज खेडली का है जिसका ही उपभोक्ता है। शिवचरण अवस्थी व अपीलान्ट के मध्य जमीन के विवाद विभिन्न राजस्व अदालतों में विचाराधीन है जिसकी द्वेषभावना के चलते ही उसके द्वारा शिकायतें की गई है। तहत अदालत ने ना ही कोई पुनः जांच रिपोर्ट मंगवाई गई ना ही कोई आरोप दर्ज करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। जब अपीलान्ट के विरूद्व कोई आरोप ही नहीं लगाये तो प्राधिकार पत्र निर्णय दिनांक 20.6.17 के विरूद्व निरस्त नहीं करना चाहिए था। अपीलान्ट वकील द्वारा उठाये गये तर्क के संबंध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट तहत अदालत को संतोषप्रद जवाब/दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे है कि अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री में गंभीर अनियमितता की गई है। अपीलान्ट द्वारा की गई अनियमितता राजस्थान

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लधंन किया गया है। अपीलान्ट उपस्थित नहीं होना और जवाब नोटिस व साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किये जाने के अभाव में लगाये गये आरोप साबित करता है। जहां तक अपीलांट का यह तर्क कि उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया, निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि तहत अदालत में अपीलांट उपस्थित नहीं हुआ है और ना ही अपने पक्ष में कोई साक्षय प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 20–11–2018 को यथावत् रखे जाते है। निर्णय प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05–11–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)